न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना,आई.ए.एस.

अपील संख्या : 32/2012

अनवानी :— श्री भैराराम पुत्र भोजाराम जाट निवासी गाढ़वाला, पुलिस थाना नापासर जिला बीकानेर ।

———— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ।

———— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री कमलजीतसिंह सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 18.12.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 1.05.2012 जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 373/1987 के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट श्री भैराराम पुत्र भोजाराम निवासी ग्राम गाढ़वाला, जिला बीकानेर के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 373/87 जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट,(उत्तर) बीकानेर द्वारा जारीशुदा है, जिस पर शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 6563/86 दर्ज है, जो दिनांक 31.12.2011 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलांट ने दिनांक 29.12.2011 को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 47 दिनांक 2.2.12 में अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरुध्द पुलिस थाना, नापासर में अभियोग 65/16.8.82 अन्तर्गत धारा 447, 427,147, 149 आईपीसी में दर्ज होकर चालान पेश हुआ एवं न्यायालय एएम एण्ड जेएम बीकानेर द्वारा दिनांक 6.6.85 को फैसला सजा फरमाई एवम अभियोग सं0 88 दिनांक 4.8.11 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 आईपीसीमें दर्ज हुआ है, जो जैर तफ्तीश पुलिस है । उपरोक्त कारण से जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गयी । जिला पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानरे द्वारा अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब का तारीख पेशी 20.3.12 निर्धारित की गयी, किन्तु अपीलार्थी के उपस्थित नहीं आने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2012 पारित कर अपीलार्थी भैराराम का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.11 निरस्त किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना, नापासर को शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिये । जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 9.5.2012 को प्रस्तुत की गई है।

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं अपीलार्थी स्वयम् अनुपस्थित रहे हैं। अतः राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोग की बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी द्वारा अपील में मुख्य रुप से यह आधार लिया है कि अपीलार्थी के नाम से शस्त्र लाइसेंस सं0 373/87 वर्ष 1987 में जारी शुदा है, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन सं0 6563 दर्ज है तथा दिनांक 31.12.11 तक नवीनीकृत है । उक्त शस्त्र लाइसेंस के आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु दिनांक 29.12.11 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि जिला पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट पर निरस्त किया गया है, जबकि अपीलान्ट के विरुध्द दर्ज अभियोग सं0 65/16.8.82 अन्तर्गत धारा 447, 427,147, 149 आाईपीसी. में दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश हुआ तथा माननीय न्यायालय से दिनांक 6.6.85 को बरी हो चुका है तथा मुकदमा सं0 88/2011 अपीलार्थी के विरुध्द पार्टीबाजी के कारण झूठा दर्ज करवाया गया है । प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक से विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर अपीलार्थी को व्यक्तिगत रुप से सुनवाई हेतु बुलाया गया, परन्तु अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपीलार्थीकीअपील स्वीकार फरमाई जावे ।

5. राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 47 दिनांक 2.2.2012 में अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरुध्द पुलिस थाना, नापासर में मुकदमा सं. 65/16.8.82 अन्तर्गत धारा 447, 427,147, 149 आईपीसी में दर्ज होकर चालान पेश हुआ एवं न्यायालय एएम एण्ड जेएम बीकानेर द्वारा दिनांक 6.6.85 को फैसला सजा फरमाई एवम अभियोग सं0 88 दिनांक 4.8.11 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 आईपीसीमें दर्ज हुआ है, जो जैर तफ्तीश पुलिस है । परन्तु आवेदक के विरुध्द

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दर्ज अभियोगों के सम्बन्ध आवेदक द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र में उक्त अभियोगों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसी आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने अपीलान्ट की अपील मीमो में उल्लेखित कथन एवं राज्य पक्ष के विद्वान सहायक लोक अभियोजक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 1.5.2012 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 9.5.12 को मियाद में प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण अनुसार अपीलांट श्री भैराराम पुत्र भोजाराम निवासी ग्राम गाढ़वाला, पुलिस थाना, नापासर, जिला बीकानेर के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 373/87 जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट,(उत्तर) बीकानेर द्वारा जारीशुदा है, जिस पर शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 6563/86 दर्ज है, जो दिनांक 31.12.2011 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलांट ने दिनांक 29.12.2011 को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट क्रमांक 47 दिनांक 2.2.12 प्राप्त की गयी, जिसमें अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरुध्द पुलिस थाना, नापासर में अभियोग 65/16.8.82 अन्तर्गत धारा 447, 427,147, 149 आईपीसी में दर्ज होकर चालान पेश हुआ एवं न्यायालय एएम एण्ड जेएम बीकानेर द्वारा दिनांक 6.6.85 को फैसला सजा फरमाई एवम अभियोग सं0 88 दिनांक 4.8.11 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 आईपीसीमें दर्ज हुआ है, जो जैर तफ्तीश पुलिस है । इस आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गयी । उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानरे द्वारा अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब का तारीख पेशी 20.3.12 निर्धारित की गयी, किन्तु अपीलार्थी के उपस्थित नहीं आने पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2012 पारित कर अपीलार्थी भैराराम का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.11 निरस्त किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना, नापासर को शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिये गये । प्रकरण में अपालार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.11 के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में विचाराधीन अभियोग का कोई उल्लेख शपथ पत्र में नहीं किया गया है, जबकि अपीलान्ट के विरुध्द अभियोग सं0 88/4.8.2011 विचाराधीन था । प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नवीनीकरण नहीं करने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, किन्तु नोटिस तामील होने के बावजूद वह व्यक्तिशः उपस्थित नहीं हुआ तथा अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 2.2.12 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.11 निरस्त किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । उपरोक्त विवेचना के अनुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.12 यथावत रखा जाता है।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे । निर्णय आज दिनांक 18.12.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर